ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केस सं0– 03 / 2021–22

सागर हॉसदा बनाम् बिमल कुमार सिंह वगै0

–: आदेश :–

30.08.2022

प्रस्तुत वाद आवेदक सागर हॉसदा, पे0–स्व0 पटवारी हॉसदा, साकिन–पहाड़खण्ड, संथाली टोला, थाना व अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–तेलियाडीह नं0–17, जमाबंदी नं0–04 के अन्दर दाग नं0–80 के अंश रकवा–00–13–00 धूर जमीन से विपक्षी (1) विमल कुमार सिंह, पे0–स्व0 राम प्रसाद सिंह, (2) चुन्ना सिंह, पे0–मुनिलाल सिंह, सभी साकिन–सुरनी, अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा को उच्छेद करते हुए आवेदक को रास्ता का दखल दिलाने हेतु प्रारंभ किया गया है। तद्नुसार अंचल अधिकारी, मेहरमा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं उभय पक्षों को कारण–पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक–1346 / रा0 दिनांक–16.11.2021 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकनोंपरान्त प्रासंगिक जमाबंदी नं0–04, दाग नं0–80 का वंशज आवेदक के नहीं रहने के कारण उच्छेदी हेतु दाखिल आवेदन को खारिज किया जाता है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

30.08.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

30.08.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen by Subhash Chandra Ray Adv 1/11/22

Seen Bande Kumar Singh Adv 05/09/22

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.18 15:41:26 +05:30
Location: 192.168.8.116